

राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, राजस्थान
स्वास्थ्य भवन सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक— एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/ ४९६

दिनांक १४/८/११

—::अधिसूचना::—

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/11/440 दिनांक 25.07.11 के द्वारा विभाग में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों (स्वास्थ्य निरीक्षक, लैब टेक्नीशियन, एम.पी.डब्ल्यू. असिस्टेंट रेडियोग्राफर, मेलनर्स ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, आधेलमिक असिस्टेंट, हैल्थ एजुकेटर) को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त कर निम्न कार्यालयों के अधीन जिलों में नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कार्य क्षेत्र की सीमा कॉलम नं. 3 में अंकित सीमा तक सीमित होने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	कार्यालय	कार्यालय के अधीन क्षेत्र
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय	संबंधित जिलों के समस्त क्षेत्र
2.	संयुक्त निदेशक (जोन) कार्यालय	संबंधित जोन के अन्तर्गत आने वाले जिलों के समस्त क्षेत्र
3.	केन्द्रीय दल निदेशालय मुख्यालय	राजस्थान राज्य के समस्त जिले

(डॉ बी० आर० मीणा)

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर

दिनांक १४/८/११

क्रमांक— एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/ ४९६

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को मय दो अतिरिक्त प्रति के भेजकर अनुरोध है कि अधिसूचना को तुरन्त ही राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कराकर प्रति भिजवाने का श्रम करें।
6. संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान।
7. न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये (जोन) राजस्थान।
8. उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
12. समस्त जन विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान।
13. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ।
14. आदेश / निजी पत्रावली।

(डॉ बी० आर० मीणा)

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर